

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/95248/AGR/AGRA/2540/CFO

दिनांक : 27-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL पता TAJ NAGARI PHASE-2 AGRA तहसील AGRA, प्लाट एरिया 4096.13 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3327.20 (वर्ग मीटर),

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉकटावर/	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ए	4	0	9.14 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-06-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MANOJ KUMAR GOYAL के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 27-06-2025 से 26-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 30प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 45 (4) के अन्तर्गत भवन स्वामी/अध्यासी प्रत्येक वर्ष जनवरी और माह जुलाई में भवन/परिसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम 2022 की धारा 26 में यथा विनिर्दिष्ट भली भाँति मरम्मत और अच्छी स्थिति में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा की स्थिति में निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा"

| यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक: 27-06-2025

स्थान : AGRA



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEVENDRA KUMAR SINGH

B9E93AF1B79D71E389CD82851B8F770FC2CB0E94

23-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.